

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

प्रकरण संख्या  
53/2025

पीठासीन अधिकारी-दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)  
दायर दिनांक  
13.01.2025

निर्णय दिनांक  
02-05-2025

1. श्रीमती करुणा बडोला पत्नी श्री पुनमचन्द्र बडोला, निवासी ए-238 आर0के0 कॉलोनी भीलवाडा।

--- प्रार्थीया

- बनाम
1. लेहरू पुत्र डालू खारोल, निवासी खारोलिया खेडा तहसील व जिला भीलवाडा।
  2. जमकू पत्नी डालू खारोल, निवासी खारोलिया खेडा तहसील व जिला भीलवाडा।
  3. उदयलाल पुत्र उंकार खारोल, निवासी खारोलिया खेडा तहसील व जिला भीलवाडा।
  4. घीसू पुत्र प्यारा खारोल, निवासी खारोलिया खेडा तहसील व जिला भीलवाडा।
  5. भैरू पुत्र उंकार खारोल, निवासी खारोलिया खेडा तहसील व जिला भीलवाडा।
  6. मुन्नी बेगम पत्नी शफी मोहम्मद नीलगर, निवासी बी-सेक्टर आजादनगर भीलवाडा।
  7. घीसूलाल पुत्र श्री मांगीलाल विश्नोई, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
  8. नगर परिषद भीलवाडा जरिये आयुक्त नगर परिषद भीलवाडा।
  9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा (राज)।

--- विपक्षीगण

उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री गोपाल अजमेरा उपस्थित।  
अप्रार्थी संख्या 01 से लगाकर 07 उपस्थित नहीं

-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :-  
-:: निर्णय ::-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पुर पटवार हल्का पुर, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा की सरहद में प्रार्थीया की आराजी संख्या 3548/8 रकबा 0.3794 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे काशत की है और विपक्षीगण के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीया अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीया उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा

इस पर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 07 उपस्थित नहीं। प्रार्थीया अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीया द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीया द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीया अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। मेंनें प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश हेतु नियत किया गया।

मेंने पत्रावली में प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीया उक्त आराजियात के खातेदार काशतकार होकर इन्हे अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीया प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम पुर पटवार हल्का पुर, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा की सरहद में प्रार्थीया की आराजी संख्या 3548/8 रकबा 0.3794 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 02.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यासज सिंह द्वारा) (द्वारा)  
उपस्थित अधिकारी  
भीलवाडा